त्यागपत्र खेल के प्रायोजक न्यायालय का सामना करने की स्थिति में नहीं थे : राजेन्द्र राठौड़

'इसीलिये अब इस्तीफे वापस लिये जाने की सुनियोजित योजना को अंजाम दे दिया गया है'

- राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष 2 जनवरी को सूचीबद्ध 91 विधायकों के त्यागपत्र के संबंध में प्रतिपक्ष उपनेता ने दिया वक्तव्य
- 'त्यागपत्र के एक लाइन के निर्धारित प्रारूप का परीक्षण करने में ही स्पीकर को 90 दिन लग गये'
- 'मैं उच्च न्यायालय से यह मांग करूँगा कि संवैधानिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के साथ किए गए इस सुनियोजित विश्वासघात में भूमिका निभाने वाले सभी व्यक्तियों को चिन्हित किया जाए और उन्हें न्यायालय की ओर से प्रताड़ित भी किया जाए।'

जयपुर। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में दो जनवरी को सूचीबद्ध 91 विधायकों के त्यागपत्र के संबंध में वक्तव्य दिया कि 25 सितंबर 2022 को 91 विधायकों ने स्वयं उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों से त्यागपत्र विधानसभाध्यक्ष को सौंपे थे। यदि विधायक ने अपनी सीट से इस्तीफा देने का निर्णय कर स्वयं उपस्थित होकर स्पीकर को त्यागपत्र सौंपा तो उसमें कोई जांच आवश्यक नहीं थी। ना तो ये संभव है कि 91 विधायकों से जबरन इस्तीफा लिखा लिए गए हो और ना ही यह संभव है कि 91 विधायकों के हस्ताक्षर कूटरचित कर दिए गए हों। विधानसभा प्रक्रिया नियम 173 के अनुसार उन्हें तुरंत प्रभाव से स्वीकार कर लिया जाना आवश्यक था। त्यागपत्र के एक लाइन के निर्धारित प्रारूप का परीक्षण करने में ही 90 दिन लग जाएं, यह तथ्य साबित करता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष 2 जनवरी 2023 को सूचीबद्ध हो रहे प्रकरण में त्यागपत्र खेल के प्रायोजक इस कारगुज़ारी के लिए न्यायालय का सामना करने की स्थिति में नहीं थे और इसलिए अब इस्तीफ़े वापस ले लिए जाने की सुनियोजित योजना को अंजाम दे दिया गया है।

उन्होंने वक्तव्य में कहा कि पिछले 90 दिनों से राजस्थान में एक ऐसी सरकार अस्तित्व में रही है जिसको स्पष्ट रूप से सदन का विश्वास हासिल नहीं था, तुरंत प्रभाव से दिया गया इस्तीफा वापस लिए जाने का क़ानून में कोई प्रावधान नहीं है और ना ही कोई प्रक्रिया त्यागपत्र वापस लिए जाने बाबत दी गई है। वैसे भी जिस विधायक ने इस्तीफा दिया है उसे विधायक पद पर बने रहने के लिए स्पीकर कानूनन मजबूर नहीं कर सकते थे। यह इस्तीफा देने वाले विधायक की नैतिकता होनी चाहिए कि इस्तीफा देने के बाद वह उसकी स्वीकृति का इंतजार न करें। इस दौरान इन सभी विधायकों ने नैतिकता को ताक में रखते हुए राजकीय सुविधाओं का पूरा-पूरा लाभ लिया है, और नीतिगत निर्णय किए हैं। इन 91 विधायकों के नाम जनता के समक्ष उजागर किए जाने चाहिए ताकि जनता को भी यह पता चले कि उनके द्वारा सदन में भेजा गया सदस्य अपने स्वार्थ के लिए उनके भरोसे और जन भावना के साथ किस कदर खिलवाड़ कर सकता है ताकि अगले चुनावों में जनता उसको कठोर सबक़ सिखा सके। विधायक से अपेक्षित होता है कि वह उसे जिताकर सदन में भेजने वाले नागरिको और संविधान के प्रति पूरी ईमानदारी से प्रतिबद्ध रहे। ये सभी 91 विधायक कम से कम 90 दिवस में ली गयी सरकारी सुविधाओं और वेतन को तो वापिस राजकोष में जमा करवाएं। इन सभी विधायकों ने सुनियोजित रूप से संविधान के साथ षड्यंत्रपूर्वक एक खेल खेला और अब प्रकरण उच्च न्यायालय में सुनवाई हेतु सूचीबद्ध होने पर न्यायिक प्रक्रिया के संभाव्य गम्भीर परिणामों से डर कर त्यागपत्र वापस लिया जाना साबित करता है कि यह इस्तीफ़ा कांड ना केवल एक अनैतिक कृत्य था बल्कि संविधान, संवैधानिक प्रक्रिया और प्रजातांत्रिक व्यवस्था के साथ सामूहिक रूप से एक खुला धोखा कारित किये जाने के समकक्ष है। इस दिखावटी और बनावटी इस्तीफा कांड की मैं भर्त्सना करता हूँ। ऐसे गम्भीर संवैधनिक विषयों में प्रदर्शित किए गए असंवैधानिक आचरण से व्यथित होकर मुझे उच्च न्यायालय की शरण लेने को मजबूर होना पड़ा, लेकिन न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए जाने से प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को येन केन सत्ता में बने रहने का औज़ार समझने वालों का वास्तविक चेहरा सामने आ गया। मेरी जनहित याचिका के अनुसार मैं उच्च न्यायालय से यह मांग करूँगा कि संवैधानिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के साथ किए गए इस सुनियोजित विश्वासघात में भूमिका निभाने वाले सभी व्यक्तियों को चिन्हित किया जाए और उन्हें न्यायालय की ओर से प्रताड़ित भी किया जाए।

जयपुर में जुटेंगे देश-विदेश के 3000 गैस्ट्रोएंटरॉलजिस्ट

कॉन्फ्रेंस के बारे में (बायें से) डॉ. अनुराग गोविल, डॉ. रमेश रूप राय, डॉ. संदीप निझावन, डॉ.अमित माथुर और डॉ. मुकेश कल्ला ने जानकारी दी।

- इंडियन सोसायटी ऑफ गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी की ओर से जयपुर में 5 जनवरी को चार दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आईएसजीकॉन-2023 का आयोजन
- चीफ गेस्ट के रूप में अभिनेता अमिताभ बच्चन शामिल होंगे

जयपुर,(कासं)। पेट से जुड़ी बीमारियों के इलाज में आई नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए आगामी 5 से 8 जनवरी तक देश-विदेश के नामी गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जयपुर में जुटेंगे। इंडियन सोसयटी ऑफ गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी की ओर से सीतापुरा स्थित जेईसीसी में 63वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस आईएसजीकॉन 2023 का आयोजन होने जा रहा है। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में देश-विदेश से 3 हजार से अधिक विशेषज्ञ भाग लेंगे। कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्च बतौर चीफ गेस्ट शिरकत करेंगे।

कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और सीनियर गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ. रमेश रूप राय ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में एकेडमिक्स के साथ कई तरह की एक्टीविटीज शामिल की गई हैं। चार दिनों में कई सेशन होंगे जिसमें अलग-अलग देशों की सीनियर फैकल्टी नई रिसर्च और अन्य जानकारियां साझा करेंगे। आयोजन सचिव डॉ. संदीप निझावन ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में यूरोप के डॉ. पाओलो एंजली, यूएसए से डॉ. अनिता अफजाली और डॉ. नोरा टेरॉट, मलेशिया से डॉ. रुनसुन, जर्मनी से डॉ. हेलमट न्यूमन, डॉ. गेरॉल्ड हॉल्टमैन और जापान से यामा मोटो जैसे नामी गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट आ रहे हैं।

कॉन्फ्रेंस के ट्रेजरार डॉ. मुकेश कल्ला ने बताया कि इस दौरान हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सेशन भी होगा जिसमें नई तकनीकों को से सिम्युलेटर पर प्रयोग किया जाएगा। इसमें ईयूएस, हीमोक्लिप, सुपरफेशियल स्टमक कैंसर ट्यूमर रिमूवल जैसे प्रोसीजर्स किये जाएंगे। कॉन्फ्रेंस के जॉइंट ऑर्गनाइजिंग सेक्रेट्री डॉ. अनुराग गोविल और डॉ. अमित माथुर ने बताया कि एकेडमिक्स के अलावा गेस्ट्रो रन, गोल्फ टूर्नामेंट, सुपर सिंगर और फोटोग्राफी से जुड़ी एक्टीविटीज भी की जाएंगी।

हीराबा के निधन पर संवेदना जताई

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की माताजी हीरा बा के निधन पर गहरा दुख और संवेदना व्यक्त की है।

सतीश पूनियां ने कहा कि, माँ...शब्द में ही जैसे सृष्टि समायी है, वो दैविक शक्ति स्वरूपा होती हैं, आदरणीय हीरा बा ने संघर्ष, त्याग और सादगीपूर्ण जीवन से गांव, गरीब, किसान सहित सभी वर्गों के लिये आगे बढ़ने की प्रेरणा का कार्य किया है, हम सभी देशवासियों और नई पीढ़ी के लिये उनका सादगी से परिपूर्ण जीवन हमेशा संबल एवं प्रेरणा का कार्य करेगा।

भारतीय जनता पार्टी राजस्थान परिवार और राजस्थान प्रदेश की जनता की तरफ से माँ हीरा बा को भावपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना है कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को संबल प्रदान करें।

सांसद हनुमान बेनीवाल के घर चोरी करने वाले तीन बाल अपचारी पकड़े

- जालूपुरा थाने से महज 30 मीटर दूर स्थित सरकारी आवास में गुरुवार को दिनदहाड़े हुई थी चोरी
- चोर घर की आलमारी तोड़कर डेढ़ लाख रुपए, सोने के चार कंगन, 4 अंगूठियां, चांदी के सिक्के, एंटीक वस्तुएं, रसोई और बाथरूम में लगे नल और रजाई-कम्बल तक चुरा ले गए थे

जयपुर (कासं)। लोकसभा सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के जालूपुरा स्थित घर में लाखों रुपये के चोरी मामले में जयपुर पुलिस ने तीन बाल अपचारियों को पकड़ा है। पुलिस ने निरूद्ध बाल अपचारियों के कब्जे से चांदी जैसी धातू के 23 सिक्के, एक मुकुट, 4 कटोरदान, एक चम्मच, पांच कम्बल, दो ट्रॉली बैग, टॉवल पैकेट, बड़ा टेडी बियर, 2 शॉल, 24 दुप्पटे, चप्पल जोड़ी, 9 नल पार्ट्स तथा टायर वाला खिलौना बरामद किया है। फिलहाल बाल अपचारियों से शेष माल के बारे में पूछताछ की जा रही है।

दरअसल जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से महज 100 मीटर दूर स्थित सांसद हनुमान बेनीवाल के सरकारी आवास में गुरुवार दोपहर को चोरी की वारदात हुई थी। इस घर से मात्र 30 मीटर की दूरी पर जालूपुरा थाना है, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। बताया जा रहा है कि चोरों ने घर से लाखों रुपये की नकदी, ज्वेलरी और एंटीक सामान पार किया था। घटना की जानकारी सामने आने के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल की तरफ से शुक्रवार सुबह रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वारदात को लेकर नागौर सांसद ने ट्वीट कर पुलिस पर भी निशाना साधा।

बेनीवाल ने रिपोर्ट में बताया कि चोर घर की आलमारी तोड़कर डेढ़ लाख रुपए, सोने के चार कंगन, 4 अंगूठियां, चांदी के सिक्के, एंटीक वस्तुएं, रसोई और बाथरूम में लगे नल और रजाई-कम्बल तक चोरी कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी, शुक्रवार देर शाम पुलिस ने तीन बालअपचारियों को पकड़कर कुछ माल बरामद किया। उधर शुक्रवार को सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर पुलिस अधिकारियों को भी घेरा। बेनीवाल ने बताया कि उनका घर थाने से 30 मीटर की दूरी पर है। जयपुर कमिश्नरेट में सांसद के घर चोरी हो रही है तो फिर आम लोगों का क्या हो रहा होगा?

200 शैक्षणिक पद सृजित

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 11 अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में 200 शैक्षणिक पदों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 के तहत इन पदों का सृजन किया गया है। उक्त स्वीकृति से प्रदेश के 11 तकनीकी महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में और अधिक वृद्धि हो सकेगी तथा आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो सकेगा।

प्रस्ताव के अनुसार, आर.टी.यू. कोटा में 44, एमबीएम जोधपुर में 43, सी.टी.ए.ई. उदयपुर में 16, एमएलवीटीई अभियांत्रिकी महाविद्यालय भीलवाड़ा, अभियांत्रिकी महाविद्यालय भरतपुर एवं अजमेर में 15-15, अभियांत्रिकी महाविद्यालय बांसवाड़ा में 12, यूसीईटी बीकानेर, अभियांत्रिकी कॉलेज बीकानेर, महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़ में 10-10 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। सृजित शैक्षणिक पदों पर मिलने वाला मासिक वेतन लगभग 29 हजार रुपये से शुरू होगा तथा 9 वर्ष पूर्ण करने पर 50 हजार रुपये होगा।

प्रदेश में 3 नए करोना संक्रमित मिले शुक्रवार को

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में शुक्रवार को 3 नए करोना संक्रमित मिले हैं। इस दौरान बेहतर रिकवरी होने से एक्टिव केस घटकर 73 रह गए हैं। राहत की बात यह भी है कि पिछले कई दिनों से राज्य में करोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है।

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में 2 जिलों में 3 नए करोना संक्रमित मिले हैं। इससे पहले गुरूवार को 8 रोगी पाए गए थे। इधर आज राजधानी जयपुर में 2 और उदयपुर में 1 नया संक्रमित मिला है। जयपुर में कालवाड़ और पावटा में 1-1 संक्रमित पाया गया है। उधर प्रदेश में 3236 जांचे की गई है। इससे पहले गुरूवार को 9653 जांचे की गई थी।

प्रदेश में पिछले कई दिनों से रिकवरी में आ रही गिरावट के बाद शुक्रवार को इसमें सुधार हुआ है। इस दौरान राज्य में 21 मरीजों के ठीक होने से एक्टिव केस घटकर 73 रह गए हैं। राजधानी जयपुर में आज 20 मरीजों के रिकवर होने से अब एक्टिव केस 58 बचे हैं। प्रदेश में शुक्रवार को भी करोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। राज्य में अब तक इस बीमारी से 9653 लोगों की मौत हो चुकी है।

कामां में शीघ्र शिक्षकों की नियुक्ति की मांग

जयपुर। भाजपा अल्पसंख्यक के प्रदेश महामंत्री हमीद खान मेवाती ने कामां विधानसभा क्षेत्र के सभी विद्यालयों में रिक्त पड़े पदों पर शीघ्र शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र दिया।

मेवाती ने बताया कि भरतपुर जिले के कामां विधानसभा क्षेत्र के गांव आरदूका तह. पहाड़ी में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मात्र एक ही अध्यापक पिछले दो वर्षों से 358 छात्र-छात्राओं को पढ़ा रहा है। जिस कारण गांव के कई छात्र-छात्राओं ने अध्यापकों की कमी के कारण अपना स्थानान्तरण प्रमाण पत्र लेकर किसी अन्य विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि गांव से लगभग 10-12 कि.मी. दूर स्थित है।

मेवाती ने कहा कि वर्तमान कामां विधायक शिक्षा राज्यमंत्री भी है, उनको गांव आरदूका के ग्रामीणों ने कई बार स्वयं से मिलकर अध्यापक लगाने की गुहार की, लेकिन शिक्षा राज्यमंत्री द्वारा भेदभावपूर्ण नीति से कार्य कर रहीं हैं, जिसके कारण गांव के लोगों में भारी आक्रोश है।

मेवाती ने कहा कि यदि 7 दिवस में कामां विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई, तो उनकी विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा राज्यमंत्री के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया जायेगा।

फाइनेंशियल एडवाइजर सहित सात गिरफ्तार

जयपुर। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने रिश्वत लेने के मामले में जयपुर और गंगानगर सहित 9 जगहों पर कार्रवाई करते हुए साउथ वेस्टर्न कमांड के इंटीग्रिटेड फाइनेंशियल एडवाइजर और अकांउट ऑफिसर उमाशंकर कुशवाह सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की टीम ने आरोपियों से तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए बरामद किए हैं।

'गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होंगे राजस्थान के 116 एनसीसी कैडेट्स'

दिल्ली परेड में भाग लेने वाले कैडेट्स का एनसीसी राजस्थान के उप महानिदेशक एयर कमोडोर ललित कुमार जैन ने जयपुर में शुक्रवार को निरीक्षण किया।

जयपुर (कासं)। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में होने वाली परेड और प्रधानमंत्री रैली में एनसीसी निदेशालय राजस्थान के कैडेट्स भी शामिल होंगे। एनसीसी राजस्थान के उप महानिदेशक एयर कमोडोर ललित कुमार जैन ने बताया कि इस बार राजस्थान से 116 कैडेट्स का चयन दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड के लिए किया गया है। इनके साथ ही 61 गर्ल्स कैडेट्स का बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी का एक दल भी वहां जाएगा। कैडेड्स यहां से शनिवार को दिल्ली के लिए रवाना होंगे और 31 जनवरी तक वहीं रहेंगे।

जैन ने बताया कि एनसीसी कैडेट्स का चयन निदेशालय के तहत कोटा, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर एनसीसी मुख्यालय के 65 हजार कैडेट्स में से किया गया है। चयन समिति में एनसीसी निदेशालय के निर्देशक कर्नल जितेन्द्र कुमार शौर्य चक्र ग्रुन कैप्टेन नीरज अम्बा, कमान अधिकारी, वन राजस्थान एयर स्क्वाड्रन एनसीसी जयपुर और राजस्थान की अन्य एनसीसी इकाईयों के अधिकारी शामिल थे। गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान के सीनियर डिविजन और जूनियर डिविजन के कैडेट्स भाग ले रहे हैं।

अपनी दिल्ली प्रवास के दौरान ये कैडेट्स विभिन्न सैन्य विद्याओं जैसे गार्ड ऑफ ऑनर, कर्तव्य पथ परेड, प्रधानमंत्री रैली और अपनी सेनाओं से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों युद्ध क्षेत्र में कार्यवाही का संचालन, एयरोमॉडलिंग में रिमोट कंट्रोल उड़ान, विभिन्न वायुयानों के लघु प्रारूप् बनाने के साथ ही नौसेना के कैडेट्स विभिन्न जलयानों के लघु प्रारूप बनाने की विधा का प्रदर्शन करेंगे।

वन राजस्थान आर एंड वी स्क्वाड्रन एनसीसी, बीकानेर के 5 कैडेट्स घुड़सवारी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। शिविर में कैडेट्स के व्यक्तित्व विकास को सर्वोपरि रखते हुए विभिन्न कसौटियों पर उन्हें परखते हुए तीनों सेनाओं के बेस्ट कैडेट्स का चयन किया जाएगा।

चांदना को मिला लीडर ऑफ डिकेड सम्मान

जयपुर। विश्व स्तर पर महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए कार्यरत वैश्विक संस्था विमेन इकोनोमिक फोरम द्वारा नई दिल्ली के होटल जे.डब्ल्यू. मैरिरियट में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विमेन इकोनामिक फोरम द्वारा अशोक चांदना को लीडर ऑफ डिकेड के सम्मान से सम्मानित किया। अशोक चांदना को यह सम्मान उनकी अगुवाई में राजस्थान सरकार द्वारा बालिकाओं और महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम के लिए दिया गया। इस अवसर पर चांदना ने विमेन इकोनामिक फोरम के प्रतिनिधियों को राजस्थान में महिला और बालिका उत्थान के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों में आमंत्रित किया।

नम्बर मिलाइए
9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

भारतीय handicrafts हस्तशिल्प continuing tradition
JYOTI SHIKSHAN SANSTHAN
NAGAUR (RAJASTHAN)
Organised
New Year
हस्तशिल्प मेला
GANDHI SHILP BAZAR
DATE : 30 DEC. TO 8 JAN. 2023
TIME : 12:00 PM TO 10:00 PM
Venue : Urban Haat, Opp. Jal Mahal, Jaipur
Cultural Activities
Entry FREE
Food Junction
Many Handicrafts Item
Sunday Open
Supported by :
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER (HANDICRAFTS)
Ministry of Textiles, Govt of India, New Delhi

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार मीणा पुत्र श्री बंशीधर मीणा के स्वामित्व का एक प्लाट नम्बर 44, स्थित स्कीम कदम विहार, बैनाड रोड, जयपुर में स्थित है। उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति को श्री अशोक कुमार मीणा ने संतोष कुमार से एवं संतोष कुमार ने राकेश कुमार मीणा से एवं राकेश कुमार मीणा ने बद्री सिंह तंवर के वारिसान अर्थात् श्री रजनी तंवर बहैसियत स्वयं एवं बहैसियत संरक्षिका विक्रम तंवर एवं पूनम तंवर, यशवंत तंवर, बलवंत तंवर से खरीद किया था। अब श्रीमती मंजू पत्नि श्री रामकरन गुर्जर उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति को श्री अशोक कुमार मीणा से क्रय करने हेतु ऋण के लिए Indiabulls housing Finance Limited में आवेदन किया है उक्त सम्पत्ति के बाबत उपरोक्त बद्री सिंह तंवर के वारिसानों को या श्री अशोक कुमार मीणा के स्वामित्व बाबत् किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति, संस्था आदि को आपत्ति व उज्र हो तो निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उक्त सूचना के प्रकाशन के 7 दिवस में अपना अधिकार या हक मय दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा Indiabulls housing Finance Limited द्वारा उक्त सम्पत्ति को रहन कर लिया जावेगा एवम् उसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई हक या अधिकार मान्य नहीं होगा।

अधिवक्ता : विवेक गोयल एडवोकेट
मो. 9828433300, 9829099898
C-25-ए बिहारी मार्ग, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, एच.डी.एफ.सी बैंक के पास, जयपुर
दिनांक:-29.12.2022

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
आम जाहिर सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक 2249 दिनांक 16.09.2019 जारी कर आवास/फ्लेट संख्या-4/702 (जी.एफ.), मालवीय नगर, जगतपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 88.13 वर्ग मीटर का प्रतिस्थापन श्री शंभू नाथ पुत्र स्व. भोलानाथ के नाम किया गया था। श्री शंभू नाथ की मृत्यु दिनांक 18.05.2020 को हो जाने के पश्चात श्रीमती शिखा कपूर पत्नी श्री संदीप कपूर पुत्री स्व. श्री शंभूनाथ के द्वारा क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, सजरा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर, उक्त आवास/फ्लेट का प्रतिस्थापन अपने नाम करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता- श्रीमती शिखा कपूर पत्नी श्री संदीप कपूर पुत्री स्व. श्री शंभूनाथ के पक्ष में उक्त आवास/फ्लेट के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी। सम्पदा प्रबंधक- वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/2436 दिनांक-30.12.2022
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 60/105, मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 162.00 वर्ग मीटर/वर्ग गज का आवंटन श्री अलगजेण्डर वर्गिस पुत्र श्री अन.आइ.वर्गिस को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3098 दिनांक 08.03.1988 को जारी किया गया था। इनके द्वारा उक्त आवस का भौतिक कब्जा दिनांक 09.03.1988 को प्राप्त कर लिया गया था। राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 223 दिनांक 28.04.1997 के द्वारा श्री गाढ सिंह शेखावत पुत्र श्री नन्द सिंह शेखावत के नाम नियमितिकरण पत्र जारी कर दिया गया। इसके पश्चात श्री गाढ सिंह शेखावत की मृत्यु दिनांक 23.02.2004 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री विजय सिंह शेखावत पुत्र स्व. श्री गाढ सिंह शेखावत ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त भूखण्ड के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री विजय सिंह शेखावत पुत्र स्व. श्री गाढ सिंह शेखावत के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
क्रमांक:- DHC-II/2440 **जाहिर आम सूचना** दिनांक: 30/12/22
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 35 / 159, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 102.55 वर्ग मीटर / वर्ग गज का आवंटन श्री उमेश चन्द्र नागर पुत्र स्व. श्री के.सी. राव्ल को किया गया था जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2829 दिनांक 22.07.1987 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 30.01.1988 को प्राप्त कर लिया गया था। राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 473 दिनांक 28.12.1994 के द्वारा श्रीमती रमेश कान्ता गुप्ता पत्नी डॉ. सुधीन्द्र कुमार गुप्ता के नाम नियमितिकरण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 31.12.1994 को करवाया गया। इसके पश्चात श्रीमती रमेश कान्ता गुप्ता की मृत्यु दिनांक 01.08.2011 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री संजय गुप्ता पुत्र स्व. डॉ. सुधीन्द्र कुमार गुप्ता ने मृत्यु पश्चात् नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति / आवेदक श्री संजय गुप्ता पुत्र स्व. डॉ. सुधीन्द्र कुमार गुप्ता के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

कार्यालय नगर पालिका लालसोट (दौसा)
क्रमांक-न.पा.ला./2022/6709 दिनांक-30.12.2022
शुद्धि पत्र
प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगर पालिका लालसोट के आदेश क्रमांक 6192 दिनांक 8.12.2022 को जारी लोक सूचना में राजस्व ग्राम लालसोट के खसरा नम्बर 378/2 रकबा 6 बिस्वा में से 4 बिस्वा के स्थान पर खसरा नम्बर 378/2 रकबा 6 बिस्वा तथा खातेदार प्रभुलाल पुत्र किस्तुरचन्द माली निवासी लालसोट का नाम भी अन्य खातेदारों के साथ पढ़ा जावें।
अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका लालसोट

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
आम जाहिर सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक 1406 दिनांक 18.05.2014 जारी कर आवास संख्या-5-च-14 नाहरी का नाका जयपुर क्षेत्रफल 71.00 वर्ग गज का प्रतिस्थापन श्री गुरमुख दास पुत्र स्व. श्री खुशीराम के पक्ष में किया गया था। उनके द्वारा उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर पंचम में दिनांक 30.05.2012 को करवाया गया। श्री गुरमुख दास की मृत्यु दिनांक 12.02.2017 को हो जाने के कारण श्री जितेन्द्र कुकरेजा पुत्र श्री गुरूमुख दास के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, हकत्याग पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने नाम से करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता- श्री जितेन्द्र कुकरेजा पुत्र श्री गुरमुख दास के पक्ष में उक्त आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक- वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in, Phone No. 0141-2782772
क्रमांक:- DHC-II/2427 दिनांक: 28/12/2022
जाहिर आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 70/44, मानसरोवर, जयपुर क्षेत्रफल 200.00 वर्ग मीटर/ वर्ग गज का आवंटन श्री राधेश्याम बंशीवाल पुत्र स्व. श्री सोहन लाल बंशीवाल को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 7271 दिनांक 05.03.1994 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 12.09.1997 को प्राप्त कर लिया गया था। राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 3698 दिनांक 23.03.1998 के द्वारा श्री संजय शर्मा एवं श्रीमती इन्द्रा शर्मा के नाम नियमितिकरण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 26.03.1998 को करवाया गया। तत्पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 5151 दिनांक 22.12.2000 के द्वारा श्री किशन चन्द देवनानी एवं श्रीमती निर्मला देवनानी के नाम हस्तांतरण कर दिया गया। इसके पश्चात श्री किशन चन्द देवनानी की मृत्यु दिनांक 26.06.2006 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती निर्मला देवनानी पत्नी स्व. श्री किशन चन्द देवनानी ने 1/2 अविभाजित हस्से का मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त सम्पूर्ण आवास का अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/ आवेदक श्रीमती निर्मला देवनानी पत्नी स्व. श्री किशन चन्द देवनानी के पक्ष में उक्त सम्पूर्ण आवास का हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी।
सम्पदा प्रबन्धक वृत्त द्वितीय, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
आम जाहिर सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या- 7/352 मालवीय नगर, जयपुर क्षेत्रफल 112.50 वर्ग मीटर का आवंटन श्री जय राम भारती गोस्वामी पुत्र श्री वासुदेव भारती गोस्वामी को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2167 दिनांक 31.07.1984 जारी किया गया था। उनके द्वारा उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 31.10.2000 को करवाया गया। श्री जय राम भारती की मृत्यु दिनांक 06.02.2019 को हो जाने के कारण श्री पीयूष भारती पुत्र स्व. श्री रमेश भारती के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र (रिलीज-डीड) की छाया प्रति एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने नाम करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता- श्री पीयूष भारती पुत्र स्व. श्री रमेश भारती के पक्ष में उक्त आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक- वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

खोया पाया
मंजू गुप्ता पत्नी स्व. श्री राज कुमार चौधरी के नाम से आवासन मंडल का रजिस्टर्ड आवास 38/168, किरण पथ, मानसरोवर, जयपुर का मूल पजेशन लैटर मानसरोवर किरण पथ के आसपास कहीं गिर गये है कृपया मिलने पर सूचित करें 9829051945

प्लाट संख्या 13 (वेस्ट पार्ट) रतन सागर बलरामपुरा उर्फ खेजडो का बास जयपुर का SUB Division Letter And name Transfer Letter गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें। आशा मो. 8890505904

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 45/2022
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, निवासी ग्राम सुरजनपुर, तहसील थानागाजी जिला अलवर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1956 की धारा 17(1) के अन्तर्गत दोघडिया माताजी मंदिर ट्रस्ट, ग्राम सुरजनपुर, तहसील थानागाजी, जिला अलवर के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नही की गई तो उक्त आवेदन -पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 27.12.2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 28.02.2023
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

नाम परिवर्तन
मैंने अपना नाम सैफ उल्लाह मिर्जा से बदलकर मोहम्मद सैफ उल्लाह मिर्जा पुत्र मोहम्मद शफिउल्ला रख लिया है भविष्य में मुझे मोहम्मद सैफ उल्लाह मिर्जा निवासी 256/4, जियाउदीन कॉलोनी, चार दरवाजा, जयपुर के नाम से जाना जावे।

मैंने अपना नाम श्रीमती गीता रामचन्दानी से बदलकर श्रीमती गीता देवी रामचन्दानी रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये। श्रीमती गीता देवी रामचन्दानी पत्नी श्री हेमनदास रामचन्दानी,59-बी, गणेश विहार, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर

मै मोनीषा गिरी पत्नी श्री रविन्द्र गिरी निवासी 174/142, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर-302033 ने विवाह उपरान्त अपना नाम मोनिषा से बदल कर मोनीषा गिरी कर लिया है भविष्य में मुझे मोनीषा गिरी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

I Mula Ram Gehlot S/o Chandra Ram R/o Andaba Bera, Rampura Bhatiya, Rampura Bhatiyan, Jodhpur, Rajasthan-342305, have changed my name to Mukesh Gehlot